

सामाजिक तथ्य की अवधारणा (CONCEPT OF SOCIAL FACT)

दुर्खीम ने यह स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले किसी भी विद्वान् ने सामाजिक तथ्य को वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास नहीं किया था। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, “‘सामाजिक तथ्य व्यवहार करने, विचार करने, अनुभव करने या क्रिया करने का कोई भी वह ढंग है जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन किया जा सकता है तथा जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है।’’ इस दृष्टिकोण से हमारे विभिन्न धार्मिक विश्वास, नैतिक नियम, लोक गाथाएँ तथा व्यवहार के विभिन्न ढंग सामाजिक तथ्य के उदाहरण हैं। दुर्खीम ने आगे लिखा है कि ‘‘सामाजिक तथ्यों का सम्बन्ध कार्य करने, विचार करने और अनुभव करने के उन सभी तरीकों से है है जो व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं तथा जो अपनी दबाव-शक्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को नियन्त्रित करते हैं।’’ इसका आशय यह है कि सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएँ मुख्य होती हैं—बाह्यता (exteriority) तथा बाध्यता (constraint)। इन विशेषताओं के आधार पर सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को निर्मांकित रूप से समझा जा सकता है :

(1) सामाजिक तथ्यों में बाह्यता का गुण होता है—यह सच है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है लेकिन एक बार जब कोई सामाजिक तथ्य विकसित हो जाता है तो फिर उसका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतन्त्र हो जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम ने बताया कि सामाजिक तथ्यों का निर्माण सामूहिक चेतना से होता है। यह सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से

बिल्कुल अलग होती है। इसका आशय यह है कि एक बार जब सामाजिक तथ्यों में सामूहिक चेतना शामिल हो जाती है, तब व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामूहिक चेतना से पैदा होने वाले सामाजिक तथ्य व्यक्ति के नियन्त्रण और शक्ति से बाह्य हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, धर्म एक सामाजिक तथ्य है। धर्म से सम्बन्धित विश्वासों और व्यवहार के तरीकों को समूह के द्वारा ही विकसित किया जाता है लेकिन बाद में यह विश्वास और व्यवहार के तरीके समूह और व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति में सामाजिक तथ्यों के अनुसार ही विचार और व्यवहार करता है। वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा से सामाजिक तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।

(2) **सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण होता है**—सामाजिक तथ्य इस दृष्टिकोण से बाध्यताकारी होते हैं कि यह व्यक्ति को एक विशेष ढंग से विचार करने और व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। इनका व्यक्ति पर इतना अधिक दबाव होता है कि वह अपनी इच्छा या अनिच्छा से उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण इस बात से भी स्पष्ट होता है कि यह प्रत्येक दशा में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इन्हें नहीं बदल सकता। इसका कारण स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने बताया कि सामूहिक चेतना वैयक्तिक चेतना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अतः सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण आ जाना बहुत स्वाभाविक है।

सामान्य और व्याधिकीय तथ्य (Normal and Pathological Social Facts)

सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम ने इनके दो मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया :

(1) **सामान्य सामाजिक तथ्य**—दुर्खीम के अनुसार सामान्य सामाजिक तथ्य (normal social facts) वे हैं जो एक विशेष अवधि में किसी समाज में सामान्य दर से पाये जाते हैं। सामाजिक संगठन की प्रकृति को निर्धारित करने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। विभिन्न समाजों में सामान्य सामाजिक तथ्यों की प्रकृति एक-दूसरे से कुछ अलग हो सकती है। इसके बाद भी यह तथ्य सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी भूमिका निभाते हैं।

(2) **व्याधिकीय सामाजिक तथ्य**—इनका आशय उन दशाओं से है जो समाज के लिए हानिकारक होती हैं तथा जनसाधारण के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे तथ्य एक विशेष अवधि में समाज द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं होते। दुर्खीम के अनुसार किसी समाज के एक बड़े हिस्से को क्षति पहुँचाने वाली दशाएँ व्याधिकीय तथ्यों (pathological facts) को जन्म देती हैं।

सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम ने एक रोचक उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि साधारणतया अपराध को समाज के लिए हानिकारक माना जाता है और इसलिए इसे हम एक व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कह देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ विशेष दशाओं में अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य भी हो सकता है। इसका कारण बताते हुए उन्होंने लिखा कि अपराध सभी तरह के समाजों में प्रत्येक काल में सामान्य दर से घटित होते रहते हैं। इसके अलावा अपराध और दण्ड एक समाज के सदस्यों को अपने सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के स्वीकृत तरीकों की याद दिलाते हैं। अनेक दशाओं में अपराध के कारण ही समाज में उपयोगी कानूनों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एथेन्स के कानूनों के अनुसार सुकरात एक अपराधी था क्योंकि उसने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए आवाज उठायी। इसके बाद भी सुकरात का यह अपराध लोगों को स्वतन्त्रता का अधिकार देने और एथेन्स में एक नयी नैतिकता को विकसित करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इसका अर्थ है कि अपराध को तब तक एक सामान्य सामाजिक तथ्य मानना उचित है जब तक यह पूरे समाज के जीवन को विघटित न करने लगे।

दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा इसलिए प्रस्तुत की जिससे समाजशास्त्र के अन्तर्गत सभी तरह की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन न करके केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जा सके जिन्हें 'सामाजिक तथ्य' कहा जा सकता है। वास्तव में, सामाजिक तथ्य समाज की प्रतिनिधि विशेषताएँ होती हैं। केवल इन्हीं का अध्ययन करके समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। सच तो यह है कि सामाजिक घटनाएँ इतनी जटिल होती हैं कि उनकी प्रकृति को समझ सकना साधारणतया कठिन होता है। दुर्खीम ने

सामाजिक तथ्यों के रूप में इन घटनाओं की विशेषताओं को स्पष्ट करके उनके अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में विशेष योगदान दिया है।

सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के नियम (Rules of Studying Social Facts)

दुर्खीम ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र को भी वैज्ञानिक बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा केवल तभी सम्भव है, जब सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कुछ विशेष नियमों के आधार पर किया जाय। दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत इन नियमों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है :

(1) **सामाजिक तथ्यों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाय (Social Facts be Considered as Things)**—दुर्खीम ने बतलाया कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं लेकिन साधारणतया जब हम कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो हम अपने विचारों तथा भावनाओं के आधार पर ही सामाजिक घटनाओं के बीच एक विशेष सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। यह पद्धति बहुत त्रुटिपूर्ण है। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन तभी किया जा सकता है जब हम सामाजिक तथ्यों को ठीक उसी प्रकार एक वस्तु के रूप में देखें जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक तथ्यों को उनके वस्तुनिष्ठ रूप में देखा जाता है। इसका तात्पर्य है कि हम सामाजिक तथ्य को केवल एक 'विचार' अथवा 'अवधारणा' के रूप में न मानकर एक ऐसी 'वस्तु' के रूप में देखें जिसका बाहरी रूप से अवलोकन किया जा सकता हो तथा इसी अवलोकन के आधार पर उसकी व्याख्या एवं तुलना की जा सकती हो। वास्तव में, एक वस्तु केवल वही होती है जिसे निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा हम वास्तविक रूप से समझ सकें तथा उससे सम्बन्धित आँकड़े प्राप्त कर सकें। किसी वस्तु को हम अपने अनुमान या किसी पूर्व धारणा के आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते। दुर्खीम ने यह स्वीकार किया कि सामाजिक तथ्य, भौतिक तथ्यों की तरह पूर्णतया मूर्त नहीं होते लेकिन इससे सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने श्रम-विभाजन तथा आत्महत्या से सम्बन्धित अध्ययन करके अपने इस कथन को प्रमाणित कर दिया कि सामाजिक तथ्यों का वस्तु के रूप में अध्ययन करके कहीं अधिक सही आँकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं।

(2) **पूर्व-धारणाओं का उन्मूलन किया जाय (Preconceptions be Eradicated)**—साधारणतया जब हम किसी घटना को देखते या समझते हैं तो अतीत में दिये गये उनसे सम्बन्धित विचारों अथवा मान्यताओं के आधार पर ही हम उनके बारे में एक विशेष धारणा बना लेते हैं। ऐसी सभी पूर्व-धारणाएँ अध्ययन की वैज्ञानिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। दुर्खीम के शब्दों में, "यह पूर्व-धारणाएँ वस्तुओं (अर्थात् सामाजिक तथ्यों) तथा अध्ययनकर्ता के बीच में एक ऐसे पर्दे का कार्य करती हैं जिसे अक्सर पारदर्शी समझ लिया जाता है लेकिन यह हमसे यथार्थ को छिपा लेता है।"¹ इस आधार पर समाजशास्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि किसी सामाजिक तथ्य को उसी रूप में देखा जाय जैसा कि वह वास्तव में है।

(3) **भावनाओं का उन्मूलन (Eradication of Sentiments)**—एक समाजशास्त्री के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय सभी व्यक्तिगत भावनाओं को तथ्यों के विश्लेषण से पृथक् कर दिया जाय। ऐसा इसलिए है कि भावनाओं का हस्तक्षेप प्रायः सत्य की खोज में बाधक होता है। वास्तव में, यथार्थ विश्लेषण और भावनात्मक विचार एक-दूसरे के विरोधी होते हैं। दुर्खीम का मत है कि समाजविज्ञानी भावनाओं का अध्ययन तो कर सकता है किन्तु भावनात्मक आधार पर सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता। दुर्खीम के शब्दों में, "भावना वैज्ञानिक अध्ययन का विषय हो सकता है लेकिन यह वैज्ञानिक सत्य का मापदण्ड नहीं है।" इस प्रकार सामाजिक तथ्यों का वास्तविक अवलोकन तभी किया जा सकता है जब अध्ययनकर्ता द्वारा सामाजिक तथ्यों को भावनाओं से अलग रखा जाय।

(4) **बाह्य विशेषताओं की परिभाषा करना (Defining of External Features)**—दुर्खीम का विचार है कि अध्ययनकर्ता द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करने से उसे जिन विशेषताओं का बोध हो उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया जाये। विभिन्न वस्तुओं की परिभाषा किन्हीं विशेष विचारों के

¹ इमाइल दुर्खीम : समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम (हिन्दी संस्करण), पृ. 12.

आधार पर भी बल्कि उन वस्तुओं में निहित गुणों अथवा बाह्य विशेषताओं के आधार पर होनी चाहिए। बाह्य विशेषताओं का तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा सामान्य रूप में समझा जा सके। दुर्खीम यह भी मानते हैं कि किसी वस्तु का जब तक पूरी तरह विश्लेषण न हो चुका हो, तब तक उन्हीं विशेषताओं को स्वीकार कर लेना उचित है जो वस्तु का अवलोकन करने पर पहली बार में ही स्पष्ट रूप से दिखलाई देती हैं।¹

(5) **सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतन्त्र हों (Social Fact be Independent of Individual Facts)**—दुर्खीम ने यह स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उन्हें व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक् रखकर स्वतन्त्र रूप से किया जाय। दुर्खीम के शब्दों में, ‘‘सामाजिक तथ्यों के बारे में हमें यह सिद्धान्त स्थापित कर लेना चाहिए कि सामाजिक तथ्य जितना अधिक व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक् होंगे, वे उतना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।’’ इसे अधिक स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीवन से अलग करके देखें। समाज में अनेक ऐसे सामाजिक प्रवाह पाये जाते हैं जिनके द्वारा समाज में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण व्यक्ति अक्सर सामाजिक प्रवाह के रूप में विद्यमान रहने वाले इन तथ्यों को नहीं देख पाता। इस स्थिति में सामाजिक तथ्यों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान न देकर उनका स्वतन्त्र रूप से अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

(6) **तथ्यों का वर्गीकरण (Classification of Facts)**—दुर्खीम के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के लिए यह आवश्यक है कि किसी विशेष अध्ययन से सम्बन्धित जो भी तथ्य प्राप्त हों उनका समुचित ढंग से वर्गीकरण किया जाय। एक शोधकर्ता यदि बिखरे हुए बहुत-से तथ्यों के आधार पर विभिन्न घटनाओं के बीच कोई तुलना करने का प्रयत्न करेगा तो वह किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सकता। विभिन्न तथ्यों के बीच वैज्ञानिक ढंग से तुलना तभी की जा सकती है जब तथ्यों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके एक-एक वर्ग में समान प्रकृति के तथ्यों को संयोजित कर लिया जाय। ऐसा करने से सामाजिक तथ्यों का निरीक्षण करना तथा इनसे सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष लेना सरल हो जाता है।

(7) **कारण तथा प्रकार्य की खोज (Search of Cause and Function)**—प्रत्येक सामाजिक घटना का जहाँ एक अथवा अनेक कारण होते हैं वहीं प्रत्येक घटना के कुछ प्रकार्य भी होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि जब हम किसी सामाजिक घटना की व्याख्या करें तो उससे सम्बन्धित कारणों की खोज करने के साथ ही एक विशेष घटना अथवा सामाजिक तथ्यों के प्रकार्यों को भी ढूँढ़ने का प्रयत्न किया जाय। इसी की सहायता से हम अतीत और वर्तमान के सामाजिक तथ्यों के बीच एक स्पष्ट तुलना कर सकते हैं। दुर्खीम के अनुसार इस कार्य में ऐतिहासिक तथा प्रयोगात्मक पद्धति अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती। सामाजिक घटनाओं के कार्य-कारण सम्बन्ध को तुलनात्मक पद्धति की सहायता से ही प्रामाणिक रूप दिया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं के कारण एवं प्रकार्य की खोज के लिए दुर्खीम ने तुलनात्मक पद्धति के उपयोग को आवश्यक माना है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कुछ निश्चित नियमों का पालन करने से ही सामाजिक तथ्यों का यथार्थ अवलोकन कर सकना सम्भव है। दुर्खीम का यह स्पष्ट मत है कि यह सभी नियम न केवल सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक हैं बल्कि इन्हीं की सहायता से सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को अधिक यथार्थ बनाया जा सकता है।

समालोचना (Critique)

सामाजिक तथ्यों की विवेचना के द्वारा दुर्खीम ने समाजशास्त्र की अध्ययन-पद्धति को एक वैज्ञानिक आधार देने का प्रयत्न अवश्य किया लेकिन अनेक आधारों पर विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक तथ्यों से सम्बन्धित दुर्खीम के विश्लेषण में अनेक असंगतियों को स्पष्ट किया है। सर्वप्रथम, यह कहा जाता है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा में दुर्खीम ने व्यक्ति की अपेक्षा समूह को कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया

¹ “Every sociological investigation must be of a group of phenomena defined in advance by certain external features.” —Durkheim, quoted by Abraham and Morgan, *op. cit.*, p. 112.